



**PNB  
GILTS  
LTD.**

Regd. Office: 5, Sansad Marg, New Delhi-110001  
Tel: 011- 23325759, 23325779, Fax: 011- 23325751, 23325763  
E-mail: pnbgilts@ndb.vsnl.net.in , Website: www.pnbgilts.com  
CIN : L74899DL1996PLC077120

## **NOTICE**

This is in continuation to the Notice dated July 4, 2014 with reference to the 18th Annual General Meeting of the Company, scheduled to be held on Saturday, August 30, 2014 at 11:00 a.m. at Punjab National Bank Auditorium, Central Staff College, 8, Under Hill Road, Civil Lines, Delhi-110054. Ministry of Corporate Affairs (MCA) has vide its notification dated 14th August, 2014 amended Rule 15(3) of the Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules, 2014, pursuant to which, requirement of obtaining prior approval of shareholders by way of special resolution for Related Party Transactions below the specified transactions limit has been dispensed with. The Related Party Transactions of the company as specified in Item No.14 of the stated notice are below the specified transactions limit. Accordingly, Item No.14 of the Notice relating to Related Party Transactions stands withdrawn, and e-voting/voting for the said item will not take place.

**By Order of the Board of Directors  
For PNB Gilts Limited**

**Sd/-**

**(Monika Kochar)**

**Company Secretary**

**Place : New Delhi**

**Date : August 21, 2014**

## सूचना

यह सूचना कंपनी की 18वीं वार्षिक आम बैठक के संदर्भ में दिनांक 4 जुलाई, 2014 के नोटिस के अनुक्रम में है, जो शनिवार, 30 अगस्त, 2014 को प्रातः 11.00 बजे पंजाब नेशनल बैंक ऑडिटोरियम, सेंट्रल स्टाफ कालेज, 8, अंडर हिल रोड, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054 में आयोजित की जाएगी। कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने अपनी अधिसूचना दिनांक 14 अगस्त, 2014 के तहत कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियम, 2014 के नियम 15(3) को संशोधित कर दिया है, जिसके अनुरूप, विनिर्दिष्ट लेन देन सीमा से नीचे के संबंधित पक्ष लेन देन हेतु विशेष प्रस्ताव के जरिए शेयरधारकों की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने की अपेक्षा को समाप्त कर दिया गया है। उक्त नोटिस के मद सं. 14 में यथा विनिर्दिष्ट कंपनी के संबंधित पक्ष लेन देन विनिर्दिष्ट लेन देन सीमा से नीचे हैं। तदनुसार संबंधित पक्ष लेन देन से संबंधित नोटिस की मद सं. 14 को वापस लिया जाता है एवम् उक्त मद सं. 14 के लिये ई-वोटिंग/मतदान नहीं होगा।

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार  
कृते पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड

हस्ता0/-

(मोनिका कोचर)

कम्पनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक : 21 अगस्त, 2014